उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1985)

THE UTTAR PRADESH PROMOTION AND PROTECTION OF FRUIT TREES (REGULATION OF HARMFUL ESTABLISHMENTS AND HOUSING SCHEMES) ACT, 1985

(U.P. Act No. 18 of 1985)

उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1985]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 21 अगस्त, 1985 को अनुमति प्रदान की और उ0प्र0 असाधारण गजट में दिनांक 23 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुआ।]

फलदार वृक्षों का संवर्द्धन करने और उनके समीपस्थ ईंट के भट्ठों या अन्य हानिप्रद अधिष्ठानों के कारण होने वाले पादप रोगों से उनका संरक्षण करने के लिए, और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

(2) यह 15 मई, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएं

2–जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) ''ईंट का भट्ठा'' का तात्पर्य किसी भट्ठा से है जहां ईंट पकाई जाती हो और जिसमें ईंधन के प्रयोजन के लिये हार्ड कोक, साफ्ट कोक, स्लैक कोल या किसी अन्य प्रकार के कोयले का उपयोग किया जाता है किन्तु इसके अन्तर्गत देशी प्रकार का ईंट का भट्ठा नहीं है जिसमें लकड़ी के कोयले का उपयोग किया जाता है ;

(ख) ''अन्तस्थ परिक्षेत्र'' का तात्पर्य फल पट्टी के संबंध में, ऐसी फल पट्टी के चारों ओर घोर समानान्तर तीन किलोमीटर के परिक्षेत्र से है ;

(ग) ''निदेशक'' का तात्पर्य उद्यान कर्म एवं फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश से है जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया हो;

(घ) ''बाग'' का तात्पर्य ऐसे भू–खण्ड से है जिस पर फलदार वृक्ष इतनी संख्या में लगाये गये हों कि उन वृक्षों के कारण वह भूमि या उसका अधिकांश भाग मुख्यतया किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग में नहीं लाया जाता है या उनके पूर्णरूप से विकसित हो जाने पर नहीं लाया जायगा, और इसके अन्तर्गत ऐसे वृक्षों के पौधों के विकास के लिये पौधशाला भी है।

(ङ) ''हानिप्रद अधिष्ठान'' का तात्पर्य निम्नलिखित से है :–

(एक) ईंट का भट्ठा ;

(दो) कारखाना, कर्मशाला या अन्य अधिष्ठान जिसमें उसकी भट्ठी में ईंधन के प्रयोजनों के लिये कोक या लकड़ी के कोयले से भिन्न कोयले का उपयोग किया जाता है, और जिसमें से धुआं निकलता है या जो धुआं निकलने का कारण है, और जिसमें वस्तुओं का उनके उपयोग, परिवहन या बिक्री के दृष्टिकोण से निर्माण, प्रसंस्करण, अनुकूलन या उत्पादन किया जाता है और जिसमें वर्ष में किसी भी दिन दस या अधिक कर्मकार सेवायोजित किये जाते हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत होटल, रेस्तरां या अन्य आहार स्थल नहीं है ;

(च) ''आवास योजना'' का तात्पर्य किसी व्यक्ति के ऐसे किसी आवास या उपनिवेश योजना या कार्यकलाप से है जिसका उद्देश्य बिक्री या किराये पर देने के प्रयोजनार्थ एक से अधिक आवासिक या अन्य भवनों के निर्माण का हो और इसके अन्तर्गत आवासिक या अन्य भवनों के निर्माण के लिये पट्टे पर देने या भूखण्ड (प्लाट) के रूप में बिक्री के लिये किसी भूमि का विकास करने की कोई योजना भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा अपनी निजी या पट्टाधृत भूमि पर अपने वैयक्तिक उपयोग और अध्यासन के लिये भवन का निर्माण करना नहीं है ;

(छ) ''फल पट्टी'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन इस रूप में घोषित किसी क्षेत्र से है ;

(ज) ''अध्यासी'' का तात्पर्य किसी हानिप्रद अधिष्ठान या आवास योजना के संबंध में उस व्यक्ति से है जिसका हानिप्रद अधिष्ठान या आवास योजना के कार्य–कलाप पर अन्ततोगत्वा नियंत्रण हो और इसके अन्तर्गत उसका स्वामी या प्रबन्धक भी है।

फल पट्टी की घोषणा

3–(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी क्षेत्र में फलदार वृक्ष के संवर्द्धन और संरक्षण और उनके उत्पादन के लिये हानिप्रद अधिष्ठानों के चलाने को और वहां पर और उसके समीप किसी आवास योजना के कार्यान्वयन की विनियमित और निर्बन्धित करना, लोक–हित में आवश्यक और समीचीन है तो वह उपधारा (2) से (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र की सीमायें विनिर्दिष्ट कर सकती है और उसे ऐसे दिनांक से, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, फल पट्टी घोषित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को फल पट्टी घोषित करने के पूर्व गजट में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी अन्य रीति से जैसी विहित की जाय, ऐसा करने के अपने अभिप्राय को अधिसूचित करेगी और प्रस्तावित घोषणा के संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई आपत्ति और सुझाव ऐसी अवधि के भीतर जैसी विहित की जाय, प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे निदेशक को सम्बोधित किया जायेगा जो उसे उस पर अपनी टीका–टिप्पणी सहित राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, राज्य सरकार उक्त अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगी और तदुपरान्त उपधारा (1) के अनुसार उस क्षेत्र को उसकी सीमा में ऐसे परिवर्तन सहित या रहित, जैसा वह उचित समझे, ऐसा क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही कर सकती है।

फल पट्टी में उपान्तर

4–राज्य सरकार, जहां वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझे, गजट में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी अन्य रीति से जैसी विहित की जाय, और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट फल पट्टी में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकती है या किसी क्षेत्र को उससे अपवर्जित कर सकती है :

परन्तु इस धारा के अधीन कार्यवाही करने में, धारा 3 की उपधारा (2) से (4) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

हानिप्रद अधिष्ठान चलाने या आवास योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिषेध

5–(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसी विधि के आधार पर सप्रभावी किसी संविदा, अनुदान या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन फल पट्टी की घोषणा के दिनांक को या उसके पश्चात् –

(एक) ऐसी फल पट्टी या उसके अन्तस्थ परिक्षेत्र में न तो किसी हानिप्रद अधिष्ठान की स्थापना करेगा और न उसे चलायेगा ; या

(दो) राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित रीति से प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा के बिना ऐसी फल पट्टी में किसी आवास योजना को कार्यान्वित नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी व्यक्ति को प्रतिषिद्ध करती है कि वह फल पट्टी की घोषणा के दिनांक से एक वर्ष की अवधि में किसी हानिप्रद अधिष्ठान को, जो ऐसी घोषणा के दिनांक के पूर्व स्थापित किया गया हो, चलाता रहे।

(3) इस धारा की कोई बात उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों पर लागू नहीं होगी। **अधिनियम संख्या 65, 1951**

शास्ति

6–(1) जो कोई धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, उसे साधारण कारावास का जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माना से जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों दण्ड दिया जायेगा।

(2) प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अनिम्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

कम्पनी द्वारा अपराध

7–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन केलिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा को किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो कम्पनी का ऐसा निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजन के लिये –

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, और

(ख) ''निदेशक'' का किसी फर्म के संबंध में तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

हानिप्रद अधिष्ठान को हटाने और आवास योजना के निष्पादन को रोकने की शक्ति

8–(1) धारा 6 और 7 में किसी बात के होते हुए भी, कलेक्टर, यह समाधान हो जाने पर कि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है, आदेश द्वारा, उसे–

(क) हानिप्रद अधिष्ठान को हटाने या ऐसी रीति से जैसी फल पट्टी के संरक्षण के लिये आवश्यक हो, उसके संचालन को विनियमित करने का निदेश दे सकता है ;

(ख) धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करके हानिप्रद अधिष्ठान की स्थापना या निर्माण या किसी आवास योजना के निष्पादन को बन्द करने या रोकने का निदेश दे सकता है :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायगा जब तक कि उसने निर्दिष्ट व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हों।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश का अपेक्षित अवधि के भीतर अनुपालन न किया जाय, वहां कलेक्टर तदुपरान्त हानिप्रद अधिष्ठान को, यथास्थिति, हटवायेगा या विनियमित करायेगा, या ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी उक्त आदेश का अनुपालन के लिये आवश्यक हो, और इस योजना के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जैसा आवश्यक हो ;

(3) कलेक्टर उपधारा (2) के अधीन आदेश के निष्पादन व उपगत व्यय को अध्यासी से भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल करेगा।

आयुक्त को अपील

9–कोई व्यक्ति जो धारा 8 के अधीन किसी आदेश से व्यथित हो, ऐसे आदेश की संसूचना के दिनांक से एक मास के भीतर अधिकारितायुक्त आयुक्त को विहित रीति से अपील कर सकता है और अपील पर आयुक्त का आदेश अन्तिम होगा।

प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति

10–(1) कलेक्टर या निदेशक या इनमें से किसी एक द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सर्वेक्षण करने या माप लेने या ऐसा कोई अन्य कार्य करने के उद्देश्य से, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो, किसी हानिप्रद अधिष्ठान में या किसी आवास योजना स्थल पर, सभी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकता है।

(2) किसी व्यक्ति को जो उपधारा (1) के अधीन सशक्त व्यक्ति को किसी हानिप्रद अधिष्ठान में या किसी आवास योजना स्थल पर प्रवेश करने में बाधा डालता है या इस प्रकार प्रवेश करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को उत्पीड़ित करता है, साधारण कारावास का जो तीन मास तक हो सकता है, या जुर्माना का जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों दण्ड दिया जायगा।

क्षतिपूर्ति

11–इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

राज्य सरकार की छूट देने या छूट वापस लेने की शक्ति

12–(1) राज्य सरकार, लोक हित में, या अत्यधिक कष्ट के मामले में, गजट में अधिसूचना द्वारा, विहित रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह इस निमित्त आरोपित करें, किसी आवास योजना या हानिप्रद अधिष्ठान को इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन दी गयी किसी छूट को, इसी प्रकार गजट में अधिसूचना द्वारा, स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिये जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, पूर्णतः या अंशतः वापस ले सकती है :

परन्तु किसी छूट को वापस नहीं लिया जायगा, जब तक कि उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में छूट दी गयी हो, सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

13–(1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि में जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे उपान्तर, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे : — **कठिनाई दर करने की शक्ति**

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

14–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है। — **नियम बनाने की शक्ति**

15–(1) उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य व कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

———